सार्वजनिक राजस्व (Public Revenue):

3. परिचय:

हम आम तौर पर जानते हैं कि सार्वजनिक राजस्व, सरकारी आय को संदर्भित करता है लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण स्रोत या अवधारणाएं हैं जो सार्वजनिक राजस्व में शामिल हैं जैसे कर, शुल्क, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से आय, जुर्माना, दान आदि जिसका अधय्यन हम प्रस्तुत सामग्री मे करेगे-

3.1. **सार्वजनिक राजस्व का आशय**:

सभी स्रोतों के माध्यम से प्राप्त सरकार की आय को सार्वजनिक आय या सार्वजनिक राजस्व कहा जाता है।

डाल्टन के अनुसार- "सार्वजनिक आय" में दो बाते होती हैं - पहली अपने व्यापक अर्थों में इसमें सभी आय या प्राप्तियाँ शामिल होती हैं, जो किसी भी समय के दौरान सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्ति या सुरक्षित की जा सकती है। दूसरी संकीर्ण अर्थ में, सार्वजनिक प्राधिकरण की आय में केवल वे स्रोत शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर "राजस्व संसाधनों" के रूप में जाना जाता है। अस्पष्टता से बचने के लिए पहली आय को "सार्वजनिक प्राप्तियां" और बाद की आय को "सार्वजनिक राजस्व" कहा जाता है।

उदाहरण के लिये- सार्वजनिक उधार या ऋण और सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री से प्राप्तियों को सार्वजनिक प्राप्तियां, और कर, शुल्क,फ़ीस, जुर्माना, दान आदि को सार्वजनिक राजस्व की श्रेणी मे रखा गया है।

3.2. सार्वजनिक राजस्व के स्रोत (Sources of Public Revenue):

सार्वजनिक राजस्व दो प्रकार के होते हैं

1. कर राजस्व और
2. गैर-कर राजस्व।

3.2.1. कर राजस्व (Tax Revenue):

विभिन्न करों के माध्यम से प्राप्त किये गए कोष को कर राजस्व के रूप में जाना जाता है। करदाताओं को कोई भी संगत लाभ दिये बिना, आम नागरिकों के सामान्य खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा नागरिकों पर लगाए जाने वाले अनिवार्य भुगतान को कर कहा जाता हैं।

सेलिगमैन ने अनुसार '' सरकार द्वारा सामान्य हित में किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति पर कर, एक अन्शदान है ।

अंत में हम कहते हैं कि एक कर "सरकार को भुगतान का समर्थन करने के लिए व्यक्तियों या संपत्ति पर लगाया गया एक अजीबोगरीब बोझ है।"

3.2.2. कर राजस्व के प्रकार (Kinds of Tax Revenue):

कर राजस्व विभिन्न प्रकार के होते हैं। भारतीय सम्विधान के अनुसार आयकर, उपहार कर ,धनकर ,समपदा कर और व्यय कर सन्घीय शासन द्वारा लगाये एवम निर्धारित किये जाते है जवकि विक्रय कर, मनोरन्जन कर आदि राज्य शासन द्वारा

लगाये जाते है। समानत्या: कर राजस्व को दो प्रमुख रूपो में विभाजित किया गया हैं -

1.प्रत्यक्ष कर

2.अप्रत्यक्ष कर

1.प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): प्रत्यक्ष कर उसी व्यक्ति को भुगतान करना पडता है जिस व्यक्ति पर यह कर लगाया जाता है।इस प्रकार के कर मे करदाता अपने कर दायित्व को दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित नही कर सकता है।

प्रत्यक्ष कर के प्रकार: प्रत्यक्ष कर के प्रमुख प्रकार निम्न्वत है-

1-आयकर: किसी व्यक्ति की होने वाली आय पर यह कर लगाया जाता है ।

2-उपहार कर: किसी व्यक्ति द्वारा उपहार देने पर यह कर लगाया जाता है।

3-भूमि कर: किसी व्यक्ति द्वारा भूमि के प्रयोग करने पर लगाया जाता है।

4-धन कर: किसी व्यक्ति की सम्पदा से होने वाली आय पर यह कर लगाया जाता है।

5-म्रत्यु कर: किसी व्यक्ति की म्रत्यु पर लगाया जाता है ।

6-व्यावसाय कर : किसी व्यक्ति के व्यावसाय मे होने वाली आय पर यह कर लगाया जाता है।

7-कार्पोरेट कर : देश भर की कम्पनिया अपनी आय पर सरकार को कर का भुगतान करती है।

2-अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): अप्रत्यक्ष कर से आशय उस कर से है जिसमे करदाता अपने कर दायित्व को खुद न भुगतान

कर, दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित करता रहता है और कर दायित्व का भुगतान अन्तिम उपभोकता/ग्राहक करता है।इसमे वास्तविक करदाता या तो वस्तुओ का मूल्य बडाकर दूसरे से इसे वसूलता रहता है या स्वम वस्तुओ का कम मूल्य देकर इस कर से मुक्त रहता है। यह एक प्रकार का उपभोग कर है।

अप्रत्यक्ष कर के प्रकार: अप्रत्यक्ष कर के प्रमुख प्रकार निम्न्वत है-

1-उत्पादन कर: वस्तुओ के उत्पादन करने पर लगाया जाता है।

2-सेवाकर :विभिन्न प्रकार विहित सेवाओ के प्रयोग पर लगाया जाता है।

3-सीमाशुल्क:विदेशी सीमा से देश के अन्दर माल के मगाने या भेजने पर लगाया जाता है ।

4-स्टाम्प कर: अचल सम्पत्तिओ के क्रय विक्रय पर लगाया जाता है जिसे सरकार या नगर निगम सम्पति के मालिक से उसे वसूलता है।

5- मनोरन्जन कर: राज्य सरकारे फ़िल्म, डी टी एच एवम केविल सेवाओ पर मनोरन्जन कर लगाती है जो अखिर कार ग्राहको से वसूला जाता है।

3.3. गैर-कर राजस्व (NonTax Revenue):

प्रशासन, वाणिज्यिक उद्यमों, फ़ीस, उपहारों और अनुदानों के माध्यम से प्राप्त सार्वजनिक आय, सरकार के गैर-कर राजस्व के स्रोत है।

गैर-कर राजस्व में शामिल हैं:

(i).प्रशासनिक राजस्व:

सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक प्रशासन के तहत फीस, जुर्माना और विशेष आकलन के रूप में कुछ धन प्राप्त करते हैं प्रशासनिक राजस्व कहलाते है। जो निम्न प्रकार है-

1.शुल्क:

लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा शुल्क लिया जाता है। एक शुल्क सरकार द्वारा किए गए प्रत्येक आवर्ती सेवा की लागत को रोकने के लिए एक भुगतान है। यह मुख्य रूप से सार्वजनिक हित में, लेकिन भुगतान करने वाले को एक औसत दर्जे का लाभ प्रदान करता है।कोर्ट फीस, पासपोर्ट फीस इत्यादि इसी श्रेणी में आने वाले राजस्व हैं।

2- लाइसेंस शुल्क:

लाइसेंस शुल्क को नियंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा कुछ कार्य के अनुमति देने के लिए, लिया जाता है जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क, आयात लाइसेंस शुल्क, शराब परमिट शुल्क, आदि। शुल्क उन लोगों द्वारा भुगतान किया जाना है जो कुछ विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। आम तौर पर शुल्क की राशि प्रदान की गई सेवाओं की लागत पर निर्भर करती है।

3.फीस:

फीस सरकार की प्रशासनिक गतिविधियों का एक उप-उत्पाद है और किसी व्यवसाय के लिए भुगतान नहीं है। इस प्रकार, फीस कीमतों से अलग हैं। कीमतें हमेशा स्वैच्छिक भुगतान होती हैं, लेकिन फीस अनिवार्य योगदान है जैसे कोर्ट फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आदि। हालांकि दोनों विशेष सेवाओं के लिए बनी हैं।

4.जुर्माना और दंड:

दंड के रूप में कानून के अपराधियों से जुर्माना वसूला जाता है। यहाँ इन का मुख्य उद्देश्य इतना आय अर्जित करना नहीं है जितना कि देश के कानूनों के उल्लंघन को रोकना है। जुर्माना मनमाने ढंग से निर्धारित किया जाता है और प्रशासन या सरकार की गतिविधियों की लागत से कोई संबंध नहीं है। इसलिए, सार्वजनिक राजस्व के स्रोत के रूप में इस तरह के लेवी से संग्रह महत्वहीन हैं।

5.विशेष आकलन (Special Assessement):

भारत में, इन विशेष मूल्यांकनों को " लेवी" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जब इसका मूल्य सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सामाजिक उपरिगामी पूंजी जैसे सड़क, जल निकासी, सड़क-प्रकाश आदि के निर्माण में जो धन व्यय किया जाता है तो इसकी प्रतिपूर्ति के लिये इसे विशेष आकलन कर के रूप मे प्राप्त किया जाता है ।

(ii). राज्य उपक्रमों का लाभ:

सार्वजनिक उपक्रमों के विस्तार के कारण, राज्य उपक्रमों का लाभ भी इन दिनों राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मसलन, केंद्र सरकार रेलवे चलाती है रेलवे की आमदनी से अधिशेष को आम तौर पर केंद्रीय बजट के राजस्व बजट में शामिल किया जा सकता है।

इसी तरह, राज्य परिवहन निगम और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों जैसे कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमि, स्टेट

ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आदि का मुनाफा राज्य सरकारों के बजट के लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है।
राज्य के उद्यमों से होने वाली कमाई उनके सामानों और सेवाओं के लिए उनके द्वारा लिए गए मूल्यों और उसके अतिरिक्त प्राप्त होने वाले अधिशेष पर निर्भर करती है।

(iii) उपहार और अनुदान:

ये आम तौर पर सार्वजनिक राजस्व का एक बहुत छोटा हिस्सा है। अक्सर, देशभक्त लोग या संस्थान सरकार या राज्य को उपहार दे सकते हैं। ये विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक योगदान हैं। उपहारों का कुछ महत्व है, खासकर युद्ध के समय या आपातकाल के दौरान। हालांकि, आधुनिक समय में, एक सरकार से दूसरी सरकार को अनुदान को भी दिया जाता है। स्थानीय सरकारों को केंद्र और राज्य सरकारों से अपने कार्यो को पूरा करने के लिये अनुदान प्राप्त होता है। केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों को अनुदान देती है ताकि वे अपने कार्यों को पूरा कर सकें।

(iV) विदेशी सहायता:

जब अनुदान एक देश की सरकार द्वारा दूसरे देश की सरकार को दिया जाता है तो उसे विदेशी सहायता कहा जाता है। आमतौर पर गरीब देशों को विकसित देशों से ऐसी सहायता प्राप्त होती है, जो सैन्य सहायता, आर्थिक सहायता, खाद्य सहायता, तकनीकी सहायता भुकम्प राहत सहायता आदि के रूप में हो सकती है।